

महोदया, उत्तर प्रदेश में लगभग 23 वर्ष पहले पी०ए०सी० विद्रोह हुआ था। पुलिस प्रशासन में बड़ा असंतोष था और उस असंतोष के कारण वहां विद्रोह हुआ, कई स्थानों पर सेनाएं बुलानी पड़ी। सशस्त्र झड़पें भी हुईं। कई पुलिसकर्मी उसमें मारे गये। पुलिस के कुछ अधिकारी भी मारे गए थे और परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि उस समय की जो सरकार थी उसके मुख्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, उनके स्थान पर दूसरे मुख्य मंत्री नियुक्त हुए। पुलिस विद्रोह उस समय क्यों हुआ था उसका विशेष कारण था उनमें जो असंतोष था उस असंतोष के कारण पुलिस विद्रोह हुआ था। 23 वर्ष उन पर मुकदमा चला जो उस विद्रोह के अभियुक्त माने गये थे और 23 वर्ष बाद पिछले डेढ़ महीने उनके संबंध में एक अदालत का फैसला हुआ और अदालत ने उन सभी को बाइजुत बरी कर दिया। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों से मुक्त कर दिए गए। इस बीच में जो पुलिस परिषद के पदाधिकारी थे, जो अन्य निम्न श्रेणी के पुलिसकर्मी थे, उनका बहुत ही उत्पीड़न हुआ और वह जगह-जगह न्याय के लिए दौड़ते रहे परन्तु उनको कहीं से भी न्याय नहीं मिला। अंततोगत्वा न्यायालय से उनको न्याय मिला। इस घटना की तरफ ध्यान आकर्षित करने का तात्पर्य पुनः पुलिस विद्रोह की संभावना का संकेत देना है। जब यह विद्रोह हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश में एक आई०जी० होता था और कुछ डी०आई०जी० होते थे और बांकी नीचे पुलिस अधिकारी होते थे। विद्रोह के बाद जो पुलिस प्रशासन में सुधार किया गया उसके फलस्वरूप आज लगभग 12 तो डी०जी० डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस है, 50 से अधिक आई०जी० हो गए, सैकड़ों डी०आई०जी० हो गए। यह पुलिस फोर्स में टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन तो होता गया लेकिन नीचे के स्तर पर जो पुलिसकर्मी हैं उनकी न तो सेवा की शर्तों में सुधार हुआ और न जनसंख्या की वृद्धि और आवश्यकता के अनुसार उनको कोई सुविधा प्रदान की गई। जिन थानों में दस पुलिसकर्मी रहते थे आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि थानों में तो दो सौ से ढाई सौ तक पुलिसकर्मी रहते थे। न उनका मैसेंजीर प्रकार से चलता है, न उनके खाने की व्यवस्था है। उनको 24 घंटे काम करना पड़ता है। इसके कारण से उनमें फिर से असंतोष पनप रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ क्योंकि वहां इस समय राष्ट्रपति शासन है, अगर उत्तर प्रदेश की इस स्थिति की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो जो स्थिति 1973 में पैदा हुई थी उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है।

यह मसला बहुत गंभीर है और इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये।

RE. ALLEGED FELLING OF 300 TREES IN NUH FOR PRIME MINISTER'S SECURITY

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): उप-सभापति महोदया, प्रधान मंत्री श्री देवगौड़ा जी अभी कुछ दिन पहले नूह में गए थे और उनके नूह में जाने पर वहां पर 300 पेड़ उनके हेलीकाप्टर को उतारने के लिए काट दिए गए। 300 पेड़ों में 120 साल पुराने मजेस्टिक शीशम का पेड़ था, दो 7 साल पुराने नीम थे, अस्सी 10 साल पुराने शीशम थे, अस्सी 2 साल पुराने यूकेलिटस थे, चालीस 5 साल पुराने सीमा पेड़ थे, पन्द्रह 12 साल पुराने अर्जुन पेड़ थे और पच्चीस 3 साल पुराने जामन के पेड़ थे। इन सारे पेड़ों को जो वहां पर 120-120 साल पुराने थे, हेलीकाप्टर उतारने के लिए काट दिए गए। प्रिंसिपल ने जो स्टेटमेंट दिया जिसके कालेज में यह हेलीपेड बनाया गया, उसने यह कहा कि: "These trees have survive the menance of floods but couldn't survive bureaucratic insensitvity. The area is flood-prone and every year, during the monsoon, the campus is waterlogged."

वहां पर सोलह किलोमीटर की दूरी पर सिविल एविएशन क्लब है जहां बड़ी आसानी से कोई भी जहाज उतर सकता है। वहां उतारने के बजाय कालेज को चुना गया और कालेज के सारे पेड़ इस तरीके से काटे गए। वहां के एक टीचर का स्टेटमेंट है—

"If a Prime Minister's visit brings so much of destruction, we don't want such visits."

वहां के प्रिंसिपल का कहना है—

"Not only our efforts but also our emotions were associated with these trees. Some of the trees had been planted by dignitaries visiting the college."

डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अब उनसे कहा है कि आपका जो नुकसान हुआ है वह बताइए ताकि हम उसे पूरा कर सकें और प्रिंसिपल यह कहते हैं कि—

"Nothing can compensate this green wealth."

महोदया, आजकल बहुत ज़िक्र किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ऐक्टिव हो गया है और बहुत काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह खबर सुनी तो उन्होंने ऐफिडेविट देने के लिए कहा। जो ऐफिडेविट दिया गया है उसमें कहा गया है कि "पी०एम०ओ० के कहने पर उन्होंने वृक्षों की कटाई की।" हरियाणा गवर्नमेंट ने जो ऐफिडेविट दाखिल किया है, उसमें कहा कि "हम मजबूर थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा इसलिए हमने ये पेड़ काट डाले।" महोदया, एक तरफ तो हमारी यह पॉलिसी है कि पेड़ लगाए जाएं, कोई पेड़ काटा न जाए। वहां पर प्राइम मिनिस्टर के लिए तीन हेलीपैड बनाए गए। पहले भजन लाल जी के टाइम पर एक हेलीपैड बनाया गया था तब कोई वृक्ष नहीं काटा गया था किंतु प्राइम मिनिस्टर के जाने के लिए तीन हेलीपैड बनाए गए। एक प्राइम मिनिस्टर के लिए और दो सिक्वोरिटी वालों के लिए। वहां उतर कर देखा तो तीन सौ पेड़ वहां पर काट दिए गए थे। उन पेड़ों को काटा गया जो बारिश से बच गए, बाढ़ से बच गए जो बीसियों साल से वहां खड़े हुए थे, उनको काटा गया। आम तौर पर यह कहा जाता है कि देश में प्रदूषण बढ़ रहा है, वृक्ष न काटे जाएं, वृक्ष लगाए जाएं और अब ये कह रहे हैं कि हम तीन सौ पौधे लगा देंगे। तीन सौ पौधे लगाने से क्या 120 साल पुराने पेड़ों की भरपाई हो सकती है? क्या प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को देखा कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो लोग गए थे, वे उतने ही सेंसिटिव हैं? मैं तो कहता हूँ वे क्रिमिनल्स हैं। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। इसलिए जिन लोगों ने भी यह किया है, चाहे पी०एम०ओ० के लोगों ने किया हो या वहां के लोगों ने किया हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिये। प्राइम मिनिस्टर के इस तरह के दौर पहले भी हुए थे। वे यू०पी० में एक जगह गए गये थे और प्राइम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर उतारने से वहां कई झोपड़ियां गिर गई थीं। तो क्या प्राइम मिनिस्टर का जाना जरूरी है लोगों को देखने के लिए? वहां पर मलेरिया फैला था। अगर देखना भी था तो दस कदम की दूरी पर खाली जगह में हेलीपैड बना सकते थे। उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हेलीपैड बनाने में तो कोई कठिनाई नहीं है, कहीं भी बन सकता है। नहीं तो दस किलोमीटर दूर एयरफोर्स का क्लब था, वहां उतारा जा सकता था परंतु इस तरह की स्थिति जो पैदा की गई, मैं इसकी निंदा करता हूँ और मांग करता हूँ कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

श्री गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश): महोदया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिये।

श्री रायवजी (मध्य प्रदेश): मैडम, हेलीकॉप्टर उतारने के लिए तीन सौ पेड़ काटे गए। हेलीकॉप्टर तो थोड़ी सी जगह में उतर जाते हैं। तीन सौ पेड़ नष्ट करने की क्या आवश्यकता है?... (व्यवधान)...

श्री वसीम अहमद (उत्तर प्रदेश): इसमें कोई पी०एम० का दोष नहीं है। पी०एम० ने तो कहा नहीं कि मुझे ऐसी जगह उतारिये!...(व्यवधान)...

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: The affidavit has been given

कि पी०एम०ओ० के कहने पर उन्होंने वृक्षों की कटाई की।

This is the affidavit given by the Haryana Government.

पी०एम०ओ० के कहने पर वहां पर ये सारे पेड़ काटे गए।

SHRI K.R. MALKANI (Delhi): Madam, I want to associate myself with this.

उपसभापति: एसोसिएशन के लिए आज मना किया है, कल भी मना था। मुझे कंटीट करने दीजिए।

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र): मैडम, मैं एक ही बात आपके सामने लाना चाहता हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरा यह कहना था कि जब भी प्रधान मंत्री जी का कहीं भी दौर होता है या स्टेट्स में मुख्य मंत्री का दौर होता है, उस समय, जैसा मल्होत्रा जी ने बताया, पेड़ काटे जाते हैं। कहीं-कहीं तो क्रिकेट की पिच पर खंभे लगाए जाते हैं मीटिंग के लिए या हवाई जहाज उतारने के लिए। इस ढंग का व्यवहार जगह-जगह पर होता है। मैं किसी भी प्रधान मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन ये सिक्वोरिटी वाले इस ढंग की हरकतें करते हैं। इसलिए सिक्वोरिटी वालों और पुलिस वालों को आप वार्निंग दीजिए।

उपसभापति: पेड़ नहीं काटने चाहिये किसी को भी।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: मैडम, आप इनको डायरेक्शन दीजिए।

उपसभापति: पेड़ कहीं भी नहीं काटने चाहिये। ... (व्यवधान) ... क्रिकेट पिच बन सकती है, पेड़ नहीं उग सकता है इतनी जल्दी, पेड़ नहीं काटने चाहिये। ... (व्यवधान) ...

Well, I am a zoologist and botanist. I protect trees as and asset.

श्री गोविन्दराम मिरी: उपसभापति जी, प्रधानमंत्री जी को पेड़ लगाने चाहिये।

उपसभापति: प्रधान मंत्री को ही क्यों, हम सबको पेड़ लगाने चाहिये। एक आदमी को नहीं बल्कि सबको लगाने चाहिये।

RE. DEMONSTRATION BEFORE
PARLIAMENT BY ALL INDIA
GRAMIN BANK EMPLOYEES
AGAINST DISCRIMINATION AND
DISPARITY IN WAGE STRUCTURE
AND SERVICE CONDITIONS

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी):
पीठासीन हुए

श्री जलालुद्दीन अंसारी (बिहार): महोदय, मैं सदन में आल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स एसोसिएशन और आल इंडिया ग्रामीण बैंक आफिसर्स एसोसिएशन के लोग जो दिल्ली में घरे पर बैठे हुए हैं, उनकी प्रमुख मांगों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। उनकी प्रमुख मांग यह है कि देश के सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की जाये साथ ही बैंकिंग से छूटे वेतन समझौते को ग्रामीण बैंकों में भी लागू किया जाये। इन मांगों को लेकर ये दो संगठन आज दिल्ली में धरना दे रहे हैं। सवाल यह है कि ग्रामीण बैंकों को भी मजबूत किया जाना चाहिये। क्या हमारी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो बैंक हैं उन बैंकों को निजी क्षेत्र में देने का इरादा रखती है? इसी वजह से इनकी जो उदारीकरण की नीति है इस नीति के तहत ग्रामीण निजी क्षेत्र में लोकल एरिया बैंक खोलने का ऐलान किया है। हम सब जानते हैं कि वे ग्रामीण बैंक गांवों में गरीबों को, गरीब किसानों को, खेतीहर मजदूरों को कर्जा मुहैया करने में मदद करते हैं। और इनके माध्यम से सरकार जो गरीबों की भलाई के लिए योजनाएं चला रही है उसके तहत उनको मदद मिलती है। यदि मान लिया जाये कि इन बैंकों में कुछ कमजोरियां हैं तो उनको दूर कर इसे मजबूत बनाया जाना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाये तो वित्त मंत्रालय और हमारी सरकार ने जो लोकल एरिया बैंक खोलने का ऐलान किया है उससे इस बात की मंशा जाहिर होती है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो हमारे बैंक हैं उनको निजी क्षेत्र में ले जाना चाहती है। यही दो प्रमुख मांगें हैं जिनकी चर्चा मैंने सदन में की। इनकी मांग है कि सभी ग्रामीण बैंकों को और क्षेत्रीय बैंकों को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाये। मैं समझता हूँ कि सदन की इस

मामलें पर सहमति होगी और इनकी बैंकिंग प्रणाली को मजबूती मिलेगी। साथ ही बैंकिंग उद्योग में जो छठा वेतन समझौता हुआ था उसको वित्त मंत्रालय की ओर से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है जिसके कारण ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के वेतन में हुई विसंगतियां दूर नहीं हो पा रही हैं। पेंशन की स्कीम में उनको जो मिलना चाहिये था वह नहीं मिल रहा है। कम्प्यूटर के एलाउन्स जो दूसरे डिपार्टमेंट में मिलते हैं वे भी उनको नहीं मिलते हैं। इस तरह से डिस्क्रिमीनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, और इससे सरकार दोहरी नीति पर बैंकों को ले जाना चाहती है। इसीलिए मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि ग्रामीण बैंकों में जो बैंकों का छठा वेतन समझौता हुआ था उसको लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय आवश्यक कदम उठाये ताकि उनकी जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

انشری جلال الدین انصاری "بہار":
مہودے۔ میں سیشن میں آل انڈیا گرامین
ورکرز ایسوسی ایشن اور آل انڈیا گرامین
بینک آفیسرز ایسوسی ایشن کے لوگ جو
دہلی میں دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں انکی
پرمکھ مانگوں کی اور دھیان دلانا چاہیوگا
انکی پرمکھ مانگ یہ ہے کہ دیس کے سبھی
شیئری گرامین بینکوں کو ملکر ایک
راشٹرویہ بینک کی اسٹھاپنا کی جائے۔
ان مانگوں کو لیکر یہ دو سنگٹھن دہلی
میں دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ سوال یہ ہے
کہ گرامین بینکوں کو بھی مضبوط کیا جانا
چاہیئے۔ کیا ہماری سرکار سارو جنگ شیئر
کے انڈ جو بینک ہیں ان بینکوں کو
نئی شیئر میں دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔